

कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, कोलकाता

बनाम

मैसर्स रूपा व कंपनी लिमिटेड

21 जुलाई, 2004

एस.एन. वरियाव और अरिजीत पसायत, जे.जे.

कस्टम अधिनियम, 1962 अधिसूचना संख्या 29/97- कस्टम दिनांक 01 अप्रैल, 1997 और उसका परन्तुक: छूट बाबत अधिसूचना-सीमा शुल्क का भुगतान/वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क/निर्यात संवर्धन पूजीगत वस्तु योजना में कलपुर्जों का आयात पर छूट- निर्धारिती धारा आयातित कपड़ों की बुनाई और रंगाई के लिए मशीनें- छूट का लाभ अधिकारियों द्वारा इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि जो मशीनें आयातित की गई वे परिधानों के निर्माण हेतु आवश्यक नहीं थी। अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा अपीलें खारिज कर मशीनों को वस्तुओं की श्रेणी में माना तथा अधिसूचना के परन्तुक के अन्तर्गत सम्मिलित होना पाया। इस प्रकार निर्धारिती को छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकृत पाया। इसकी अपील पर निर्णय यद्यपि छूट बाबत अधिसूचना अर्थान्वयन कठोरता से होना चाहिये परन्तु इस सीमा तक नहीं जिससे कि उसका उद्देश्य व प्रयोजन भुला दिया जाये। परन्तुक के अनुसार परिधानों के निर्माता को 100

प्रतिशत छूट प्राप्त है। चूंकि निर्यात दायित्वों की पूर्ति हेतु आयातित मशीनों का उपयोग कर परिधानों का निर्माण किया जाता है। ऐसी स्थिति में आयातकर्ता/निर्धारिती अधिसूचना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। ट्रिब्यूनल (अधिकरण) ने अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का लाभ देकर सही किया।

प्रतिवादी/निर्धारितियों वस्त्रों के निर्माताओं ने कपड़ों/धागों के प्रसंस्करण, कपड़ों के निरीक्षण, कपड़ों की बुनाई/रंगाई व इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों हेतु मशीनों का आयात किया तथा छूट बाबत अधिसूचना संख्या 29/97 कस्टम दिनांकित 01 अप्रैल, 1997 में सीमा शुल्क/अतिरिक्त शुल्क बाबत 100 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करने का दावा किया। राजस्व ने उक्त छूट का लाभ इस आधार पर खारिज किया कि जो मशीनें आयात की गई हैं, उनकी परिधानों के निर्माण में कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलीय अधिकारियों ने इसके विरुद्ध की गई अपील खारिज कर दी। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सोना (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण ने अपीलें स्वीकार कर यह निर्णित किया कि प्रश्नगत मशीनों की परिधानों के निर्माण में आवश्यकता है। अतः अधिसूचना के परन्तुक में सम्मिलित होता है। इस कारण यह अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत हैं।

राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना का अर्थान्वयन कठोरता से किया जाना चाहिए, यह कि शब्द "कपड़ा परिधान" में

कपड़ा/धागे व अन्य सम्मिलित नहीं होते हैं, यह कि निर्धारिती द्वारा जो मशीनें आयातित की गई वे पूंजीगत वस्तुओं हेतु आयातित की जाने वाली मशीनों की सूची में नहीं आती हैं तथा अधिसूचना के अन्तर्गत छूट हेतु योग्य नहीं है तथा राजस्व के विभिन्न परिपत्रों के अनुसार बुनाई व रंगाई में उपयोग आने वाली मशीनों को 100 प्रतिशत छूट प्राप्त नहीं है।

अपीलें खारिज, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1. किसी छूट बाबत अधिसूचना का अर्थान्वयन कठोरता से किया जाना चाहिए परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस अधिसूचना का उद्देश्य व प्रयोजन ही भुला दिया जाये तथा उसमें वर्णित शब्द नजरअंदाज हो जाये। जहां अधिसूचना के शब्द साफ व स्पष्ट हैं, वहां उसे अमल में लाया जाना चाहिये। अधिसूचना के शब्दों को अन्यायोचित अर्थ देकर, छूट देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु योजना के अनुसरण में उक्त अधिसूचना जारी की गई है। वस्तुओं का आयात एक लाइसेंस के अन्तर्गत है, जिसमें निर्यात दायित्व समाहित हैं। इन सभी मामलों में, परिधानों का निर्यात दायित्व है तथा यह उचित रूप से स्वीकार है कि प्रतिवादीगण परिधानों के निर्माता है। उक्त अधिसूचना ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं पर छूट प्रदान करती है। अधिसूचना पूर्णतः स्पष्ट है। पूंजीगत वस्तुएं जो निर्माण के लिये आवश्यक है, जिसमें अन्य में "कपड़ा परिधान" हैं, पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है। अधिसूचना

में शब्द "पूँजीगत वस्तुओं को परिभाषित किया गया है। "पूँजीगत वस्तुओं का अर्थ हैं, वह वस्तुएं जो किसी उत्पाद के निर्माण में उपयोग होती हैं तथा साथ ही वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के निर्माण व उत्पादन के उपयोग आती हैं, जिसमें पैकेजिंग, मशीनरी व उपकरण शामिल हैं। यह शब्द जांच, शोध व विकास हेतु उपकरणों को भी सम्मिलित करता है। यह शब्द उन मशीनों को भी सम्मिलित करता है जो प्रदूषण नियंत्रण, प्रशीतन, बिजली उत्पादन सेट आदि के उपयोग में आती हैं।

ओब्लम इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम कस्टम कलेक्टर (1997) 7 एससीसी 581, पर भरोसा।

1.2 परिधान निर्माण के प्रयोजन हेतु यह नहीं कहा जा सकता कि केवल सिलाई और बुनाई मशीनों की ही आवश्यकता होती है। सिलाई और कटिंग के अलावा निर्माता स्वयं भी धागों या कपड़ों का निर्माण कर सकता है। धागे या कपड़ों की गुणवत्ता की भी जांच की जानी होती है। इसके लिए मशीनों की आवश्यकता है। इसी प्रकार कपड़ें या धागों की रंगाई तथा सुखाने हेतु मशीनें, दोषों की जांच हेतु मशीनें आदि की आवश्यकता होती है। अतः कपड़ा परिधान के निर्माण में "पूँजीगत वस्तुओं में वे सभी मशीनें सम्मिलित हैं, जो अंततः परिधान निर्माण में आवश्यक हैं। अधिसूचना के अपने सुरक्षा उपाय हैं। ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत जारी लाईसेंस के तहत ही आयात किया जा सकता है। (108-ए-बी)

1.3 अधिसूचना व उसके परन्तुक में विभिन्न शब्दों का उपयोग केवल यह इंगित करता है कि परिधान निर्माता को 100 प्रतिशत छूट दी गई है। यदि किसी कपड़ा उत्पाद निर्माता द्वारा आयात किया जाता है तो उस आयातकर्ता को वस्तुओं की कीमत का सीमा शुल्क और 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट मिलेगी। भाषा में अंतर केवल इस प्रयोजन से है कि केवल परिधान निर्माता को ही 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। जब तक परिधान निर्माता आयातित मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग निर्माता दायित्वों हेतु किया जा रहा है, तब तक आयातकर्ता अधिसूचना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अधिकरण के निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है।  
(108-डी-ई-एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 2002/5944

केंद्रीय उत्पाद एवं सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकता में पूर्वी क्षेत्रीय पीठ के दिनांक 31.01.2002 के निर्णय एवं आदेश से जो 2001 सी/आर-532, एफ.ओ. सं. ए/154/कोल/2002 में पारित किया गया ।

के साथ

सी.ए. नं. 1975, 3538-62, 4191, 9306-9311, 9565-69/2003,  
1277-83, 1284-85 और 2004 का 2619

ए.के. गांगुली, दिलीप टंडन, पी. परमेश्वरन, ओम प्रकाश और बी.के.  
प्रसाद अपीलार्थी की ओर से।

सुधीर चंद्र, एस. बालकृष्णन, आर. मोहन, टी.आर. अंध्यारूजिना,  
परिजात सिन्हा, स्नेहाशीष मुखर्जी, एस.सी. घोष, मरीनल कांति मंडल,  
सुब्रमण्यम प्रसाद, अभय कुमार, आर. गोपालकृष्णन, जे.एम. खन्ना, ए.  
सथाथ खान, सुश्री शेफाली सेठी, टी.एन. भट, एस.बी. कुमार, आर.  
नेदुमारन, राकेश के. शर्मा और शंकर डिवेट प्रतिवादियों की ओर से।

एस.एन. वरियाव, जे. द्वारा निर्णय पारित किया गया:

1. इन सभी अपीलों का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा  
रहा है क्योंकि तथ्य समान हैं और उन सभी में एक समान बिंदु शामिल  
है।

2. इन सभी अपीलों में प्रतिवादी कपड़ा परिधानों के निर्माता हैं।  
1 अप्रैल 1997 की अधिसूचना संख्या 29/97-सीयूएस द्वारा निर्यात संवर्धन  
पूंजीगत वस्तु योजना (संक्षिप्त ईपीसीजी योजना के लिए) के तहत  
आयातित पूंजीगत वस्तुओं, घटकों और उनके पुर्जों आदि को सीमा शुल्क  
से छूट दी गई थी। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

3. "ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं, घटकों और उनके पुर्जों आदि को छूट- धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा संलग्न तालिका में निर्दिष्ट वस्तुओं को उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से छूट देती है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत उस पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क से, जो कि 10 की दर से गणना की गई राशि से अधिक है।

4. बशर्ते कि जहां उक्त सामान की आवश्यकता हो-

(i) चमड़े के वस्त्र, कपड़ा वस्त्र (बुना हुआ कपड़ा सहित), कृषि उत्पादों और बागवानी, फूलों की खेती, मुर्गी पालन और जैव-तकनीकी उत्पादों का निर्माण, या

(ii) होटल उद्योग को सेवाएं प्रदान करते हुए, ऐसे सामान को उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाए जाने वाले पूरे अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी ।

XXX

XXX

XXX

XXX            XXX            XXX

5. आयातित, असेंबल या निर्मित पूंजीगत सामान आयातक के कारखाने या परिसर में रुका हुआ है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार सहायक आयुक्त या स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से एक प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, पूंजीगत सामान की स्थापना और उपयोग की पुष्टि करता है। आयातक के कारखाने या परिसर में, आयात पूरा होने की तारीख से छह महीने के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जैसा कि सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अनुमति दे सकते हैं।

XXX            XXX            XXX

XXX            XXX            XXX

इस अधिसूचना में स्पष्टीकरण

(1) "पूंजीगत सामान" का अर्थ है,-

(प) किसी भी संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सहायक उपकरण की निम्न आवश्यकता है-

(ए) अन्य वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन, जिसमें पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, रिफ्रैक्टरीज, प्रशीतन, उपकरण, बिजली उत्पादन सेट, मशीन टूल्स, प्रारंभिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक, और परीक्षण, अनुसंधान



और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपकरण और उपकरण शामिल हैं;

(बी) विनिर्माण में उपयोग; खनन कृषि, जलीय कृषि, पशुपालन, फूलों की खेती, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, अंगूर की खेती और रेशम की खेती; और

XXX            XXX            XXX

XXX            XXX            XXX

(4) "निर्यात दायित्व -

(प) होटल उद्योग प्रदान करने वाली सेवाओं के अलावा अन्य आयातकों के संबंध में, इस अधिसूचना के संदर्भ में आयातित, इकट्ठे या निर्मित पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से निर्मित उत्पादों का भारत के बाहर किसी स्थान पर निर्यात या ऐसे उत्पादों की आपूर्ति के संदर्भ में निर्यात का मतलब है। निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 10.2 के खंड (ए), (बी), (डी), (ई), (एफ) और (जी); और

XXX            XXX            XXX

XXX            XXX            XXX

6. इस प्रकार ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी, जो कि माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक था। प्रावधान के तहत यदि पूंजीगत वस्तुओं को उसमें उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण के लिए आयात किया गया था तो उन्हें पूरे अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। इस प्रकार, यदि कपड़ा परिधानों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया था, तो इस अधिसूचना के तहत, आयातक को सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।

7. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि कटाई और सिलाई मशीन कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान होंगे। हालाँकि, अपीलों के इस बैच में प्रतिवादियों ने कपड़े/यार्न के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक मशीनें, कपड़े निरीक्षण मशीनें, बुनाई और कपड़े रंगने के लिए मशीनें और ऐसी अन्य मशीनें आयात की थीं। प्रतिवादियों को इस आधार पर 100 प्रतिशत छूट के लाभ से वंचित कर दिया गया कि उनके द्वारा आयातित मशीनें कपड़ा परिधानों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं थीं। प्रतिवादियों द्वारा आयुक्त (अपील) को दायर की गई अपील खारिज कर दी गई थी।

8. इन मामलों में, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) ने माना है कि प्रावधान में "माल के

निर्माण के लिए आवश्यक सामान" शब्द इन मशीनों को भी कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक था। ट्रिब्यूनल ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ निटिंग टेक्नोलॉजिस्ट के 15 जनवरी, 1999 के एक पत्र पर भरोसा किया है जिसमें कहा गया है कि यूरोप और अमेरिका में कपड़ों के निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़ों के निर्माण के लिए पहले अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े का चयन करना होगा, फिर कपड़े के दाहिने हिस्से को घर्षण और फटने और घिसाव से बचाने के लिए कपड़े को उल्टा करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि कपड़े को उलटते समय छेद और सुई के निशान, सुई का टूटना आदि जैसी अन्य गलतियों के लिए निरीक्षण किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि एक कपड़ा निर्माता के पास रंगों का परीक्षण करने के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए क्योंकि मरने के बाद सिकुड़न परीक्षण, छीलने की स्थिरता परीक्षण और ऐसे कई अन्य परीक्षण करने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फिर कपड़े को सुखाना पड़ता है क्योंकि सुखाना सिकुड़न को नियंत्रित करने और आयामी स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को ऐसे ड्रायर की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा तापमान को नियंत्रित किया जा सके ताकि गीले कपड़े को धूप में खुला छोड़कर सुखाने की किसी भी अस्वच्छ विधि से बचा जा सके। इसके बाद पत्र विशेष फिनिश जैसे कोमलता, मखमली फिनिश आदि के लिए गीले विस्तारकों और पैडिंग मैंगल्स के

उपयोग पर प्रकाश डालता है। पत्र में कहा गया है कि इसके बाद ही कटिंग और सिलाई हो सकती है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में इस न्यायालय के एक अधिकार पर भी भरोसा किया ओब्लम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (1997) 7 एससीसी 581 में रिपोर्ट किया गया। ट्रिब्यूनल ने माना है कि प्रतिवादी उपर्युक्त अधिसूचना के तहत 100 प्रतिशत छूट के लाभ के हकदार थे।

9. श्री गांगुली का मानना है कि अधिसूचना का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, उन्होंने (1996) 11 एससीसी 332 में रिपोर्ट किए गए एचएमएम लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के मामले में इस न्यायालय के अधिकार पर भरोसा किया। उन्होंने नोवोपैन इंडिया लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के मामले पर भी भरोसा किया। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (1994) सप्लीमेंट (3) एससीसी 606 में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इस अधिसूचना को बाद में 1999 में संशोधित किया गया है जिसमें अनुबंध 3 जोड़ा गया है। वह बताते हैं कि इस अनुबंध में उन मशीनों की एक सूची दी गई है जिन्हें "कपड़ा उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत सामान के रूप में आयात किया जा सकता है। उनका कहना है कि सूची में काटने और सिलाई की मशीनें शामिल नहीं हैं क्योंकि वह सूची "कपड़ा उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनों के लिए है। उनका

कहना है कि उसी अधिसूचना में अधिसूचना के पहले भाग के तहत दी जाने वाली छूट के संबंध में "कपड़ा उत्पाद" शब्द का उपयोग किया गया है और जब प्रावधान के तहत 100 प्रतिशत छूट दी जानी है तो "कपड़ा परिधान" शब्द का उपयोग किया गया है। उनका कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि 100 प्रतिशत छूट केवल "कपड़ा परिधान" के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं को दी जाती है, जबकि"

" निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के लिए छूट केवल संपूर्ण सीमा शुल्क और इतने तक ही सीमित है। अतिरिक्त शुल्क माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है। उनका कहना है कि "कपड़ा उत्पाद" शब्द में कपड़ा, धागा आदि शामिल होगा। उनका कहना है कि "कपड़ा परिधान" शब्द में कपड़ा, धागा आदि शामिल नहीं होगा। उनका कहना है कि"

" कि पूंजी सूत या कपड़े के निर्माण के लिए आवश्यक सामान प्रावधान के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनका कहना है कि यह केवल कपड़ा परिधानों के निर्माण के लिए सीधे तौर पर आवश्यक पूंजीगत सामान है, जिस पर 100 प्रतिशत छूट मिलती है। वह बोर्ड द्वारा जारी 22 फरवरी, 2000 के एक परिपत्र संख्या 13/2000-सीयूएस पर भी भरोसा करते हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना के अनुसार 100 प्रतिशत छूट उन मशीनों को नहीं दी जानी है जो बुनाई, रंगाई के लिए उपयोग की जाती हैं। और/या कॉम्पेकिंटग मशीनों के लिए जिनका उपयोग कपड़ों के निर्माण/प्रसंस्करण

में किया जाता है। सर्कुलर में कहा गया है कि 100 प्रतिशत छूट केवल उन मशीनों को दी जाएगी जो कपड़ा परिधानों के निर्माण या प्रसंस्करण के लिए उपयोग की जाती हैं। श्री गांगुली 18 अप्रैल, 1999 को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा श्री राजगोपालन, कटम्स आयुक्त को लिखे एक पत्र पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि 100 प्रतिशत छूट केवल उन मशीनों को दिया जाएगा जिनका उपयोग कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। वह वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त श्री राजगोपालन को लिखे गए 20 जुलाई, 1999 के एक पत्र पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बुनाई मशीनों, रंगाई मशीनों, कॉम्पैकिंग मशीनों आदि जैसी कपड़ा प्रसंस्करण मशीनों को 100 प्रतिशत छूट नहीं दी जा सकती है।

10. निस्संदेह, बोर्ड परिपत्र और पत्र श्री गांगुली के समर्थन पर निर्भर थे। हालाँकि, यदि बोर्ड और मंत्रालय द्वारा दी गई व्याख्या स्पष्ट रूप से गलत है तो यह न्यायालय उस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर सकता है। एक छूट अधिसूचना को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिसूचना के उद्देश्य और उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया जाए और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जहां अधिसूचना के शब्द स्पष्ट और सुस्पष्ट हों, वहां उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अधिसूचना के शब्दों से न्यायोचित

न होने वाली रचना देकर छूट से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिसूचना ईपीसीजी योजना के अनुसार जारी की गई है। माल का आयात एक लाइसेंस के तहत होता है जिसमें निर्यात दायित्व शामिल होता है। इन सभी मामलों में, दायित्व वसूल निर्यात करना है। यह उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि, इन सभी मामलों में, प्रतिवादी परिधानों का निर्माण करते हैं। अधिसूचना ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं को छूट प्रदान करती है। प्रोविज़ो पूंजीगत वस्तुओं को 100 प्रतिशत छूट देता है जो " (बुने हुए कपड़े सहित)" के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार उपयोग किए गए शब्द हैं "माल के निर्माण के लिए आवश्यक हैं"। इस न्यायालय ने ओब्लम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (सुप्रा) के मामले में, एक अन्य छूट अधिसूचना पर विचार करते समय, जिसमें इस्तेमाल किए गए शब्द "निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल और घटक" थे, अधिसूचना का उद्देश्य और उद्देश्य विनिर्माण के लिए आयात की जाने वाली आवश्यक सामग्री पर सीमा शुल्क से छूट देकर निर्यात को प्रोत्साहित करना था। परिणामी उत्पाद. यह माना गया है कि परिणामी उत्पाद का निर्माण निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए होना चाहिए। यह माना गया है कि "विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान" शब्द का अर्थ केवल उस सामग्री के संदर्भ में नहीं लगाया जा सकता है जो उस उत्पाद के निर्माण में उपयोग की जाती है। यह माना गया कि इस शब्द को इसका प्राकृतिक अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें

परिणामी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री भी शामिल हो। यह माना गया है कि इस शब्द में वे सामग्रियां भी शामिल होंगी जो सीधे परिणामी उत्पाद के निर्माण में उपयोग नहीं की जाती हैं लेकिन परिणामी उत्पाद के निर्माण के प्रयोजनों के लिए अभी भी आवश्यक हैं। यह माना जाता है कि यह शब्द इतना व्यापक था कि इसमें न केवल वे उत्पाद शामिल थे जो सीधे विनिर्माण की प्रक्रिया में शामिल हैं, बल्कि वे उत्पाद भी शामिल थे जो अंतिम निर्माण के लिए आवश्यक होंगे। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं.

11. इसके अलावा, हमारे विचार में, यह अधिसूचना बहुत स्पष्ट है। अन्य चीजों के अलावा, "कपड़ा परिधान" के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर 100 प्रतिशत छूट दी गई है। अधिसूचना में "पूंजीगत सामान" शब्द को परिभाषित किया गया है। शब्द "पूंजीगत सामान" का अर्थ उन सामानों से है जो उस उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं और ऐसे सामान भी हैं जिनकी पैकेजिंग मशीनरी और उपकरणों सहित अन्य सामानों के निर्माण या उत्पादन के लिए आवश्यकता होगी। इस शब्द में परीक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए उपकरण भी शामिल हैं। इस शब्द में प्रदूषण नियंत्रण, प्रशीतन, बिजली उत्पादन सेट आदि के लिए मशीनें शामिल हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि कपड़ा कपड़ों के निर्माण के बाद उन्हें पैक किया जाना है, तो पैकिंग के लिए आवश्यक मशीनरी कपड़ा



कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान होगी। इसी प्रकार, संयंत्र को रेफ्रिजरेट करने के लिए प्रशीतन मशीनरी भी कपड़ा वस्त्रों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान के अंतर्गत आएगी। यदि इस प्रकार के उपकरण और मशीनरी "पूंजीगत सामान" शब्द के अंतर्गत आते हैं तो हम यह समझने में असफल हो जाते हैं कि बुनाई, रंगाई, कॉम्पेकिं्टग के लिए आवश्यक मशीनरी को कैसे कवर नहीं किया जाता है।

12. कपड़ों के निर्माण के प्रयोजनों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल सिलाई और बुनाई मशीनों की ही आवश्यकता है। सिलाई और काटने के अलावा निर्माता स्वयं सूत या कपड़े का निर्माण भी कर सकता है। सूत या कपड़े की गुणवत्ता की जांच करानी होगी। उसके लिए मशीनों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, कपड़े या धागे को रंगने और/या सुखाने के लिए मशीनें, दोषों का निरीक्षण करने के लिए मशीनें आदि की आवश्यकता होगी। कपड़ा परिधानों के निर्माण के लिए आवश्यक शब्द "पूंजीगत सामान" में कपड़ों के अंतिम निर्माण के लिए आवश्यक सभी मशीनें शामिल होंगी। अधिसूचना के अपने सुरक्षा उपाय हैं। आयात केवल ईपीसीजी योजना के तहत जारी लाइसेंस के तहत ही हो सकता है। लाइसेंस में यह शर्त होगी कि आयातक द्वारा वस्त्रों का निर्यात किया जाना चाहिए।

13. हम इस दलील में भी कोई दम नहीं देखते हैं कि अलग-अलग शब्दों "कपड़ा परिधान" का उपयोग यह दर्शाता है कि केवल कपड़ों के

निर्माण के लिए सीधे इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी को 100 प्रतिशत छूट मिलती है। विभिन्न शब्दों का उपयोग केवल यह दर्शाता है कि वस्त्र निर्माता को 100 प्रतिशत छूट दी गई है। यदि आयात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कपड़ा उत्पादों का निर्माण कर रहा है तो उस आयातक को सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क के भुगतान से छूट मिलेगी जो कि माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है। भाषा में अंतर केवल इस बात पर जोर देने के लिए है कि 100 प्रतिशत छूट केवल परिधान निर्माताओं के लिए है। जब तक आयातित मशीनरी का उपयोग परिधान बनाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसका उपयोग निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाता है,

मामले के इस दृष्टिकोण से, हमें न्यायाधिकरण के फैसले में कोई खामी नजर नहीं आती। हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

एस.के.एस

अपीलें निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गीता चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।